

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2025/1889

दिनांक:- 29 अप्रैल, 2025

- : आ-दे-श : -

01 इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1778 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा अभिलाषा व्यास लिपिक ग्रेड-11 का न्यायालय वि० न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) क्रम-8 से न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2, जयपुर महानगर-प्रथम में तथा रेखा कुमारी मीणा लिपिक ग्रेड-11 का न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-3 से न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-9, जयपुर महानगर-प्रथम में किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

02 निम्नांकित सारणी में अंकित कर्मचारीगण के पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्य-निष्पादन बाबत आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया गया था
01	02	03	04
01	योगेन्द्र शर्मा शरिस्तेदार ग्रेड-11	ACJM No. 12 (Bassi HQ)	Gram Nyayalaya, Bassi
02	हेमन्त कुमार गुप्ता शरिस्तेदार ग्रेड-11	ACJ&JM No. 16 (Bassi HQ)	ACJM No. 12 (Bassi HQ)
03	अजय शर्मा लिपिक ग्रेड-11	ACJ&JM No. 9	DJ Court
04	गोविन्द छीपा लिपिक ग्रेड-11	Family Court No. 1	Family Court No. 3

03 प्रशासनिक कारणों से जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यरत/पदस्थापित निम्नांकित कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
01	02	03	04	05
1.	हेमन्त कुमार गुप्ता शरिस्तेदार ग्रेड-11	ACJ&JM No. 16 (Bassi HQ)	ACJ&JM No. 15 (Bassi HQ)	देवेन्द्र शर्मा रीडर ग्रेड-11
2.	देवेन्द्र शर्मा रीडर ग्रेड-11	ACJ&JM No. 15 (Bassi HQ)	ACJ&JM No. 16 (Bassi HQ)	हेमन्त कुमार गुप्ता शरिस्तेदार ग्रेड-11
3.	अभिलाषा व्यास लिपिक ग्रेड-11	Spl. JM (NI Act) No. 8	ACJ&JM No. 9	अजय शर्मा लिपिक ग्रेड-11
4.	अजय शर्मा लिपिक ग्रेड-11	ACJ&JM No. 9	ACJ&JM No. 2	लिपिक ग्रेड-11 के रिक्त पद पर

नोट:- उक्त कर्मचारीगण को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलों आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) तथा चार्ज लेन-देन की संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

04 श्री योगेन्द्र शर्मा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-12 (बस्सी) में रीडर के पद से संबंधित कार्य संपादित करेंगे।

05 जयपुर महानगर-1 में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारियों को आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालय में कार्य-निष्पादन हेतु तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया जाता है
01	02	03	04
01	रितेश शर्मा रीडर ग्रेड-11	ACJM No. 12 (Bassi HQ)	Family Court No. 3

(Signature)

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया जाता है
01	02	03	04
02	देवेन्द्र शर्मा शरिस्तेदार ग्रेड-III	ACJ&JM No. 16 (Bassi HQ)	Gram Nyayalaya, Bassi (for the work of Reader)
03	प्रियंका उदेनिया लिपिक ग्रेड-I	ADJ No. 3	ACJM No. 9
04	नवजीवन महावर लिपिक ग्रेड-II	ACJM No. 12 (Bassi HQ)	ACJM No. 15 (Chaksu HQ)
05	अभिलाषा व्यास लिपिक ग्रेड-II	ACJ&JM No. 9	DJ Court (Process Criminal)

नोट:-

- उक्त कर्मचारीगण का वेतन उनके पदस्थापन न्यायालय द्वारा आहरित किया जावेगा। उक्त कर्मचारीगण अपनी उपस्थिति कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय में अंकित करेंगे तथा इनका आकस्मिक अवकाश भी कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। इनकी उपस्थिति बाबत सूचना नियमानुसार पदस्थापन न्यायालय को भिजवाई जावे।
- उक्त कर्मचारीगण को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलें आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) तथा चार्ज लेन-देन की संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

संबंधित समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यमुक्ति से पूर्व संबंधित वर्ष अवधि के लिये वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-I की पूर्ति कर पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित पीठासीन अधिकारी 7 दिवस के भीतर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-II की पूर्ति कर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

Sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2025/1883

दिनांक:- 29 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम
- 02 संबंधित न्यायालय/कर्मचारी, जयपुर महानगर-प्रथम
- 03 सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- 04 निजी पत्रावली संबंधित कर्मचारी
- 05 आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली /रक्षित पत्रावली

Sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर-प्रथम